न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 67/2018

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2018/00092

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		कंवरीलाल ढाका निवासी मगरासर हाल निवासी निम्बीजोधा तहसील लाडनूं मालिक होटल प्रिंस, नेशनल हाईवे संख्या 65 सरहद निम्बीजोधा

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री दिनेश हेडा।

निर्णय **दिनांक–19-4-21**

1–प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में दर्ज 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2–उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रवर्तन अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि दिनांक 09.05.2018 को श्री सत्यन्द्रसिंह नेगी पुलिस थानाधिकारी लाडनूं ने जरिये दूरभाष पर तहसीलदार लाडनूं को बताया कि नेशनल हाईवे संख्या 65 पर सरहद निम्बीजोधा के प्रिन्स होटल में काफी मात्रा में गैस सिलेण्डर रखे हुए है। उक्त सूचना के आधार पर आदूराम तहसीलदार लाडनूं मय राजेन्द्रसिंह गिरदावर निम्बीजोधा, भगवानाराम पटवारी हल्का निम्बीजोधा सरकारी वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 6308 चालक राजेश ढाका सहित होटल प्रिन्स पहुंचे। जहां मौके पर थानाधिकारी लाडनूं सत्येन्द्रसिंह नेगी मय पुलिस जाब्ता उपस्थित मिले तथा जिला रसद अधिकारी नागौर से दूरभाष पर हालात निवेदन कर होटल तलाशी हेतु मौखिक आदेश प्राप्त कर होटल की आकस्मिक जांच की। वक्त जांच मौके पर होटल कंवरीलाल ढाका जाट निवासी मगरासर हाल निम्बीजोधा उपस्थित मिले जिसकी उपस्थिति में होटल की तलाशी ली गई तो होटल में कुल 17 गैस सिलेण्डर खाली/भरे हुए मिले। कंवरीलाल ढाका से घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरुपयोग करने के बारे में पूछा गया तो सही जवाब नहीं दिया तथा लाईसेंस आदि के बारे में पूछताछ करने पर लाईसेंस नहीं होना बताया। उक्त संबंध में मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2018 तैयार की गई जिस पर अप्रार्थी कंवरीलाल व भू.अ. निरीक्षक निम्बीजोधा सत्येन्द्र नेगी पु.नि. तहसीलदार, पटवारी अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो इस मौका कार्यवाही की पुस्टि करते है। इस प्रकार नेशनल हाईवे संख्या 65 सरहद निम्बीजोधा स्थित मैसर्स प्रिंस होटल मे अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरो का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरुपयोग करना, ''लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, – 2000 के खण्ड 3(1)(b)(c) खण्ड 43(1)(b)(c)6, खण्ड 7(1) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरा नंबर 3 में अंकित 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मै. लाडनूं गैस सर्विस, लाडनूं के प्रतिनिधि इदरीश खान की सुपुर्दगी मे दिये गये। इस कम में तहसीलदार लाडनूं द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पुलिस थाना लाडनूं मे प्रथम सूचना रिपो[illegible]र्यवाई जा चुकी है, का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में दर्ज सीज सु[illegible] 17 [illegible] गैस सिलेण्डर मय गैस एच.पी. गैस कम्पनी के जिनके सीरियल नम्बर 230089, 99068[illegible], [illegible]3452, 991766, 287986, 895, 680865, 786482, 128308, 13011, 2825, [illegible] कम्पनी के जि[illegible]सीरियल नम्बर 38995, 351801, 68834, 375205 है, को आवश[illegible]वस्तु अधिनियम 1955 [illegible] धारा 6 ए में समपहरण करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested

3–वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि नोटिस जो न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी को दिया गया है, वह न्यायालय के रीडर की ओर से न्यायालय में दिनांक 27.08.2018 को उपस्थित होने के संबंध में है। वह अधिनियम की धारा 6(ख) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार नही है। धारा 6(ख) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत जारी नोटिस में प्रस्तावित अव्ययहरण के विनिर्दिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। नोटिस से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किस आदेश व खण्ड व प्रावधानों के उल्लघंन/अतिक्रमण या भंग किये जाने के संबंध में उक्त हेतु दर्शित करने के न्यायालय के द्वारा सूचना जारी की गयी है। जिससे उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही अप्रार्थी के खिलाफ संस्थित व विचाराधीन उक्त कार्यवाही खारिज होने योग्य है।

3(1)–दिनांक 09.05.2018 को तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मियों की गवाही व उपस्थिति में अप्रार्थी की होटल पर से 17 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त करने के तथ्य वर्णित किये है (हालांकि अप्रार्थी अपनी होटल पर से 17 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त करने के तथ्य से इंकार करता है) और प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार उक्त कार्यवाही तहसीलदार व अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गयी है जो पूर्ण रुप से अवैध व मनमानी है। तरल पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन,) आदेश 2000 (जिसे तत्पश्चात आदेश कहा गया है) के खण्ड 13 के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रवेश, तलाशी एवं अधिग्रहण की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं की गयी है। जिससे उक्त कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम व इसके तहत बने आज्ञापक नियमों के विरुद्व होने से कार्यवाही इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

3(2)–अप्रार्थी की होटल प्रिंस पर अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलू गैस सिलेण्डर नहीं पाये गये थे यदि प्रार्थी के द्वारा बतायी जा रही कार्यवाही मौके पर होती तो अप्रार्थी की होटल नेशनल हाईवे पर निम्बा जोधा कस्बे के पास ही स्थित थी जो वक्त जांच, प्रवेश और निरीक्षण के समय तहसीलदार के द्वारा दो स्वतन्त्र व मौतबिर गवाहों को बुलाया जाता और फर्द जब्ती की प्रति अप्रार्थी को दी जाती परन्तु हस्तगत प्रकरण में मौके पर स्वतंत्र मौतबिर भी उपस्थित नहीं बताये और न ही किसी के हस्ताक्षर करवाये और न ही फर्द जब्ती की प्रति अप्रार्थी को दी गयी। जिससे भी जांच कार्यवाही पूर्णतया संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा बतायी जा रही उक्त कार्यवाही अवैध है तथा अवैध रिपोर्ट के आधार पर संस्थित कार्यवाही निरस्तनीय है।

3(3)–प्रार्थी के द्वारा जिन 17 गैस सिलेण्डर को मौके पर से जब्त करना बताया जा रहा है वस्तुतः उक्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी के परिचित उपभोक्ताओं के द्वारा अपने गैस एजेन्सी से लेकर वाहन से अपने गांव लेकर जा रहे थे तथा रास्ते में वाहन खडा करके अप्रार्थी की होटल पर चाय पानी पीने के लिए रुके हुए थे चुंकि अप्रार्थी के खिलाफ राजनैतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा आपसी वैमनस्यतावश झुठी कार्यवाही करने की गरज से इन गैस सिलेण्डरों को गलत प्रकार से होटल पर से जब्त करना बताकर अप्रार्थी को बदनाम करने और उसकी साख गिराने का प्रयास किया गया जबकि मौके पर उपस्थिति उपभोक्ताओं ने निवदेन किया कि उनके सिलेण्डर होटल से दूर रास्ते पर खडे वाहन में हैं और उनको गलत प्रकार से क्यों उठाकर ऐसी कार्यवाही की जा रही है परन्तु अधिकारियों ने कार्यवाही करने का डर बताकर उपभोक्ताओं से गलत प्रकार से उक्त सिलेण्डर जब्त करने अप्रार्थी की होटल पर से जब्त करना बता दिया और इसी कारण से मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये और इसी आधार पर झुठा आपराधिक मुकदमा करने का प्रयास किया और अप्रार्थी के हस्ताक्षर भी गलत प्रकार से उस वक्त करवाये गये। इस प्रकार उक्त कार्यवाही को अलग रुप देकर अप्रार्थी के खिलाफ झुठी कार्यवाही करने का प्रयास किया गया जिससे भी आवेदन खारिज होने योग्य होने का कथन करते हुए नोटिस विड्रो फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाने तथा अधिग्रहित सिलेण्डर उनके मालिको (उपभ[illegible] का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.क्रिमी.रिवीजन पीटिशन संख्या–1361/2014 में पारित [illegible] 02.02.2[illegible] प्रति न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

4–उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। [illegible] पत्रावली एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान [illegible] किया। प्रकरण में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2018 के अनुसार थानाधिकारी लाडनॅू कि इत्तिला पर तहसीलदार लाडनूॅ ने नेशनल हाईवे 65

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

पर सरहद निम्बी जोधा के प्रिसं होटल पर पहूँच कर होटल की तलाशी हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर से मौखिक आदेश प्राप्त कर होटल मालिक अप्रार्थी कंवरीलाल उपस्थित मिला जिसकी उपस्थिति में होटल की तलाशी लेने पर होटल में कुल 17 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली/भरे मिले, जिनको चैक किया एवं होटल मालिक अप्रार्थी कंवरीलाल से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेन्स/परमिट मांगा तो सन्तोष जनक जबाब नहीं दे पाया। इस प्रकार अप्रार्थी के पास उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर रखने का कोई लाईसेन्स नहीं होने से उक्त 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त कर लाडनूँ गैस सर्विस लाडनूँ के प्रतिनिधि इदरीश खान को सुपर्द किया गया। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर उपस्थित कार्मिकों व अन्य के हस्ताक्षर है। वकील प्रार्थी द्वारा जबाब के साथ ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे कि उक्त कार्यवाही को गलत साबित किया जा सके। हस्तगत प्रकरण "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, – 2000 के प्रावधानों के उल्लघंन का है तथा उक्त आर्डर, –2000 धारा–13(1) के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो उसे इस आदेश के तहत् प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति प्राप्त है। वकील अप्रार्थी के जबाब एवं बहस से भी ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि जिससे कि प्रार्थी की उक्त कार्यवाही गलत साबित हो। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में दर्ज सीज सुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एच.पी. गैस कम्पनी के जिनके सीरियल नम्बर 230089, 990681, 673452, 991766, 287986, 895, 680865, 786482, 128308, 13011, 2825, 238105, 10751, इण्डेन गैस कम्पनी के जिनके सीरियल नम्बर 38995, 351801, 68834, 375205 है, को समपहरित (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तशुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन नियमानुसार निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:21 IST
Reason: SelfAttested